प्रपत्र—23

परियोजना का नाम :— जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग में हलियाडोब दशौली लछिमा ओखरानी नाचनी मोटर मार्ग किमी० 0.000 से 10.00 तक

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मण्डोली
तहसील— थल , जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र हलियाडोब दशौली लछिमा ओखरानी

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत नाचनी मो० परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.421 हे0 सिविल सोयम भूमि .86 हे0, वन पंचायत भूमि —×— हे0) अर्थात कुल 2.281 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मण्डोली द्वारा दिनांक 19.10.18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मण्डोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 (signature)
ग्राम सचिव

ह0 (signature)
ग्राम प्रधान

नोट :— * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 19-10-18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मन्डोली

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री दयाल सिंह कार्की	दयाल सिंह
2-	" मंगल सिंह कार्की	मंगल सिंह
3-	" कुन्दन सिंह कार्की	कुन्दन सिंह
4-	" दीपक सिंह कार्की	दीपक सिंह
5-	" मान सिंह कोरंगा	मानसिंह कोरंगा
6-	" कुन्दन सिंह कोरंगा	कुन्दन सिंह
7-	" सावन राम	सावन राम
8-	" प्रताप सिंह मेहता	प्रताप सिंह
9-	" उत्तम सिंह कार्की	उत्तम सिंह
10-	" देव सिंह कार्की	देवसिंह
11-	" किशन सिंह कार्की	किशन सिंह
12-	" गंगा सिंह कार्की	Ganga Singh
13-	" मोहन सिंह कार्की	Mohan Singh
14-	" गोपाल सिंह कार्की	गोपाल सिंह
15-	" शेर सिंह कार्की	शेर सिंह
16-	" कुंवर सिंह मेहता	कुंवर सिंह
17-	" दीवान सिंह मेहता	दीवान सिंह
18-	" केशर राम	केशर राम
19-	" ज्ञान राम	ज्ञान राम
20-	" गंगा राम	Gangaram

ह0/–
ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत ... प्रधान ... [illegible]

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग में हलियाडोब दशौली लछिमा ओखरानी नाचनी मोटर मार्ग किमी० 0.000 से 10.00 तक

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम उणी सिरतोली
तहसील थल, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र हलियाडोब दशौली लछिमा ओखरानी

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत ^ नाचनी मो० परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.170 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.0 हे0, वन पंचायत भूमि — X — हे0) अर्थात कुल 1.17 हे0 वन भूमि का लो० निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत उणी सिरतोली द्वारा दिनांक 19.10.16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम उणी सिरतोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/
ग्राम सचिव उणी सिरतोली

ह0/
ग्राम प्रधान
(मुहर: ग्राम पंचायत उणी सिरतोली, वि० खं० बेरीनाग (पिथौरागढ़))

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 19-10-18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत उणी सिरतोली

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री शेर सिंह महरा	शेर सिंह महरा
2-	" जगत सिंह महरा	जगत सिंह महरा
3-	" दीवान सिंह खरकाल	दीवान सिंह
4-	" शेर सिंह मेहता	शेर सिंह
5-	" जगत सिंह मेहता	जगत सिंह
6-	" नाथुराम	
7-	" खड़क राम	
8-	" रमेश राम	रमेश राम
9-	" लक्ष्मण सिंह मेहता	लक्ष्मण सिंह
10-	" राजन सिंह मेहता	राजन सिंह
11-	" प्रेम सिंह कार्की	प्रेम सिंह कार्की
12-	" राम सिंह मेहता	राम सिंह
13-	" कुशल सिंह मेहता	कुशल सिंह
14-	" उत्तम सिंह मेहता	उत्तम सिंह
15	" नाथा सिंह मेहता	नाथा सिंह
16-	" रवि सिंह मेहता	रवि सिंह
17-	" प्रेम सिंह मेहता	प्रेम सिंह
18-	" बाजा सिंह	बाजा सिंह
19-	" पूरन सिंह	पूरन सिंह
20-	" खुशाल सिंह —	खुशाल सिंह

ह0 / —

ग्राम प्रधान

<u>प्रपत्र–23.1</u>

दिनांक 18-10-18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत चिलकिया

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री दयात सिंह कार्की	दयात सिंह
2-	" मंगल सिंह कार्की	मंगलसिंह
3-	" कुन्दन सिंह कार्की	कुन्दनसिंह
4-	" दीपक सिंह कार्की	दीपक सिंह
5-	" मान सिंह कोरंगा	मानसिंह कोरंगा
6-	" कुन्दन सिंह कोरंगा	कुन्दनसिंह
7-	" सावन राम	सावन राम
8-	" प्रताप सिंह मेहता	प्रताप सिंह
9-	" उत्तम सिंह कार्की	उत्तम सिंह
10 -	" देव सिंह कार्की	देवसिंह

ह0 /–
ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग में हलियाडोब दशौली लड़िमा ओखरानी नाचनी मोटर मार्ग किमी० 0.000 से 10.00 तक

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चिलकिया
तहसील– थल , जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत हलियाडोब दशौली लड़िमा ओखरानी नाचनी मो० परियोजना के निर्माण हेतु (0.18 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.35 हे0 सिविल सोयम भूमि...... — हे0, वन पंचायत भूमि — × — हे0) अर्थात कुल 1.53 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चिलकिया द्वारा दिनांक 18.10.18 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य हैं अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चिलकिया के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0
ग्राम सचिव

ह0
ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथता वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– हलियाडोब लहीमा ओरवशनी नाचनी मोटर मार्ग का विस्तार लम्बाई- 10.00 किमी०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बेरीनाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, बेरीनाग

उपखण्ड बेरीनाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत हलियाडोब लहीमा ओरवशनी नाचनी मो० मार्ग का विस्तार (0.18 हे0 आरक्षित वन भूमि, 3.951 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.85 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 4.981 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील थल) की दिनांक 16/2/16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री प्रमोद कुमार, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री प्रमोद कुमार उपजिलाधिकारी बेरीनाग अध्यक्ष
2– श्री ए० के० श्रीवास्तव उप प्रभागीय वनाधिकारी बेरीनाग सदस्य
3– श्री बी० डी० पन्त सहायक समाज कल्याण अधिकारी बेरीनाग सदस्य/सचिव
4– श्री खष्टी देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र भट्टीगाव सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि हलियाडोब लहीमा ओरवशनी नाचनी मोटर मार्ग का विस्तार परियोजना हेतु 4.981 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बेरीनाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

1.6

⑨

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बेरीनाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत हलियाडोब लछिमा ओरवरानी नाचनी मो०मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.981 हे0 वन भूमि P.W.D. प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील--........................
जनपद ....

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील--........................
जनपद........................

पटवारी
तहसील

तहसील
थल

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-I

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Pithoragarh

No---

Dated---25/2/2016

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.981** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D. Berinag (name of user agency) for **Haliyadob Lachhima Okhrani motor road Towords Nachni** (purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh district falls within jurisdiction of **Uni Sirtoli, Mandoli, Chilkiya** village (s) in Gangolihat tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire**4.981** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Pithoragarh (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pighoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/~~Mrs/Miss~~. VINOD GO... ~~H.C.Semwal~~ -WA... I.A.S deputy commissioner Pithoragarh on dated 25.12.16. at time 4:00.....at Pithoragarh in which application claiming rights in area measuring **4.981** hect. for the construction of **Haliyadob Lachhima Okhrani motor road Towords Nachni** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Berinag** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Pithoragarh
Dated: 25/12/16

Deputy Commissioner- cum-~~Chairman~~

District Level Committee

प्रपत्र– 23

परियोजना विवरण :– जनपद पिथौरागढ के विकास खण्ड बेरीनाग में हलियाडोब लछिमा ओखरानी नाचनी मोटर मार्ग का विस्तार लम्बाई 10.00कि0मी0मेंपडनेवाली 4.981हे0वन भूमि का लो0नि0वि0कोहस्तान्तरण

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

जिलास्तरीय समिति–पिथौरागढ

उप खण्ड **बेरीनाग** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **हलियाडोब लछिमा ओखरानी मोटर मार्ग का विस्तार में 0.00** हे0 आ0 वनभूमि **1.71** हे0 सिविल एवं सोयम भूमि **0.90** हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल **2.61** हे0 वनभूमि का **लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग** प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील **बेरीनाग**) की दिनांक 25/2/16...... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री **एच0 सी0 सेमवाल** जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिलास्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:–

1–श्री **एच0सी0सेमवाल** जिलाधिकारी **पिथौरागढ** अध्यक्ष।

2–श्री **डा0 इन्द्रपाल सिह** प्रभागीय वनाधिकारी **पिथौरागढ** सदस्य।

3–श्री **नन्दन सिह गस्याल** जिला समाज कल्याण अधिकारी **पिथौरागढ** सदस्य/सचिव ।

4–श्रीमती सुन्दर सिह महरा सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र ~~[illegible]~~ दन्तोला सदस्य।

सचिव द्वारा माननीय सदस्यो का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की अध्यक्षता प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि पाताल भुवनेश्वर **हलियाडोब लछीमा ओखरानी नाचनी मोटर मार्ग** परियोजना हेतु **4.981** हे0 वनभूमि **लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी **पिथौरागढ** द्वारा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

सदस्य जिला पंचायत सदस्य	प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य	जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव	जिलाधिकारी अध्यक्ष

सुन्दर सिंह महरा
सदस्य जिला पंचायत - [illegible]
पिथौरागढ़

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग